

## फार्मेट II

वर्ष 2022-23/2023-24 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से ₹3 लाख तक संवितरित/आहरित अल्पावधि फसल ऋण/गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुनः संरचित ऋणों (प्रत्येक शीर्ष के लिए अलग-अलग दावा प्रस्तुत किया जाना है) के समय पर भुगतान हेतु 3% शीघ्र चुकोती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए एकबारगी दावा

बैंक का नाम: \_\_\_\_\_

	7% वार्षिक की दर पर कुल अल्पावधि ऋण		कुल अल्पावधि ऋण जिसे समय पर चुकाया गया था		दावा की गई अतिरिक्त सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूप में)
	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित/आहरण राशि (लाख रूप में)	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित/आहरण राशि (लाख रूप में)	
3 लाख रूप तक के ऋण					

**उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत के लिए वर्ष 2022-23/ 2023-24 हेतु 3% पीआरआई हेतु एकबारगी श्रेणी-वार दावा**

	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए कुल अल्पावधि ऋण जिसे समय पर चुकाया गया था								
	सामान्य			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित/आहरित राशि (लाख रूप में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूप में)	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित/आहरित राशि (लाख रूप में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूप में)	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित/आहरित राशि (लाख रूप में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूप में)
3 लाख रूप तक के ऋण									

**उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए वर्ष 2022-23/2023-24 हेतु 3% पीआरआई हेतु एकबारगी श्रेणी-वार दावा**

	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत के लिए कुल अल्पावधि ऋण जिसे समय पर चुकाया गया था								
	सामान्य			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित/आहरित राशि (लाख रूप में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूप में)	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित/आहरित राशि (लाख रूप में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूप में)	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित/आहरित राशि (लाख रूप में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूप में)
3 लाख रूप तक के ऋण									

हम प्रमाणित करते हैं कि केसीसी के माध्यम से वितरित उपर्युक्त अल्पावधि ऋण, जिसके लिए दावा किया जा रहा है, समय पर चुकाया गया था और पात्र ऋणी किसानों को 3% शीघ्र चुकोती प्रोत्साहन का लाभ पहले ही दिया जा चुका है, जिससे वर्ष 2022-23/ 2023-24 के दौरान ऐसे किसानों को संवितरित 3 लाख रूप तक के अल्पावधि फसल ऋण/ गंभीर प्राकृतिक आपदा के कारण पुनः संरचित ऋणों के लिए ब्याज दर घटाकर 4% वार्षिक की गई है। आरबीआई के दिनांक 23 नवंबर 2022 के परिपत्र विसविवि.के.का.एफएसडी.बीसी.सं.13/05.02.001/2022-23 के पूर्णतया अनुपालन में पात्र अल्पावधि फसल ऋण/गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुनःसंरचित ऋण पर अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन के दावे की गणना की गई है। इसके अलावा, हम प्रमाणित करते हैं कि आधार संख्या/आधार नामांकन संख्या (आईएन), उन सभी किसानों की जिनके लिए प्रतिपूर्ति हेतु ब्याज सबवेंशन का दावा किया जा रहा है, कैप्चर किया गया है और बैंक के पास उपलब्ध है और जहां आधार संख्या/आईएन उपलब्ध नहीं है, वहां प्रतिपूर्ति के दावे का कोई मामला नहीं है (असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर)।

बैंक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मुहर एवं हस्ताक्षर नाम: \_\_\_\_\_

पदनाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_

हम प्रमाणित करते हैं कि \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ की अवधि के दौरान बैंक द्वारा केसीसी के माध्यम से संवितरित पात्र अल्पावधि फसल ऋण/ गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुनः संरचित ऋण पर \_\_\_\_\_ रूप के 3% शीघ्र चुकोती प्रोत्साहन के लिए उपरोक्त दावे की गणना सही और सटीक है एवं दिनांक 23 नवंबर 2022 के आरबीआई के परिपत्र विसविवि.के.का.एफएसडी.बीसी.सं.13/05.02.001/2022-23 के पूरी तरह से अनुपालन में है। इसके अतिरिक्त, हम प्रमाणित करते हैं कि आधार संख्या/आधार नामांकन संख्या (आईएन), उन सभी किसानों की जिनके लिए प्रतिपूर्ति हेतु ब्याज सबवेंशन का दावा किया जा रहा है, कैप्चर किया गया है और बैंक के पास उपलब्ध है और जहां आधार संख्या/आईएन उपलब्ध नहीं है, वहां प्रतिपूर्ति के दावे का कोई मामला नहीं है (असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर)।

सांविधिक लेखा-परीक्षक की मुहर और हस्ताक्षर नाम: \_\_\_\_\_

फर्म पंजीकरण संख्या: \_\_\_\_\_

सदस्यता संख्या: \_\_\_\_\_

यूडीआईएन: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_